

वित्त विभाग  
(कर अनुभाग)  
अधिसूचना  
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) और उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ.4(4)एफ.डी. /टैक्स/2015-226 दिनांक 09.03.2015 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान शीर्ष "8. 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय या वाणिज्यिक भूखण्डों की दरें" और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-


"8. 100 वर्गमीटर और उससे अधिक क्षेत्रफल वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दरें

क्र. सं.	क्षेत्रफल	जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरें पर आधारित मूल्यांकन निम्नानुसार कम किया जायेगा
1.	100 से 500 वर्गमीटर	5 प्रतिशत
2.	500 वर्गमीटर से अधिक	100 से 500 वर्गमीटर पर 5 प्रतिशत और शेष क्षेत्र पर 10 प्रतिशत

”

ये दरें दिनांक 31.03.2018 तक प्रभावी रहेंगी।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-118]  
राज्यपाल के आदेश से,

  
शंकर लाल कुमावत,  
संयुक्त शासन सचिव

**FINANCE DEPARTMENT  
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION  
Jaipur, March 08, 2017**

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-rule (1) and sub-rule (4) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the State Government hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(4)FD/Tax/2015-226 dated 09.03.2015, as amended from time to time, namely:-

**AMENDMENT**


In the said notification, the existing heading "**8. Rates of residential or commercial plots having area more than 1000 sq. meter**" and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

**"8. Rates of commercial plots having area of 100 sq. meter and above**

S. No.	Area	Valuation based on the rates recommended by District Level Committee shall be reduced as under
1.	100 to 500 sq. meter	5%
2.	More than 500 sq. meter	5% on 100 to 500 sq. meter and 10% on remaining area

These rates shall remain in force upto 31.03.2018.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-118]  
By order of the Governor,

  
(Shankar Lal Kumawat)  
Joint Secretary to the Government